UPSR010001292026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, श्रावस्ती

पीठासीन अधिकारी– (अमित कुमार प्रजापति) – उच्चतर न्यायिक सेवा – UP06330

फाइनल रिपोर्ट – 24/2026

राम आधार चौहान बनाम. पुष्पेन्द्र पाठक

दिनांक 12.09.2026

पत्रावली लोक अदालत में पेश हुयी। विवेचक द्वारा प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट पर आपत्ति हेतु वादी को नोटिस भेजा गया, जिस पर वादी द्वारा नोटिस की छायाप्रति पर इस आशय का अंकन किया गया कि वे अंतिम रिपोर्ट से सहमत हैं। नोटिस व उसकी छायाप्रति पत्रावली में संलग्न है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक (विद्युत विभाग) न्यायालय उपस्थित है। विवेचक द्वारा प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट पर उनको कोई आपत्ति नहीं है। अतः अंतिम रिपोर्ट न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अपराध संख्या–80/2023 धारा– 135–1–बी भारतीय विद्युत अधिनियम, थाना एण्टी पावर थेफ्ट, श्रावस्ती, जनपद श्रावस्ती के मामले में विवेचक द्वारा प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट स्वीकार किया जाता है।

पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(अमित कुमार प्रजापति)
अपर सत्र न्यायाधीश, श्रावस्ती।

Digitally signed by AMIT KUMAR PRAJAPATI
Date: 2026.09.12 15:22:22 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court